आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 संख्या–2246/2018 (उत्पन्न सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 8561/2018 ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक–02.01.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में आशु अवर निरीक्षक से आशु निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक–14.02.2019 को महानिदेशक पर्षद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रोन्नति के हेतु योग्य पायी गई विशेष शाखा में पदस्थापित आशु अ0नि0 रूपम सिन्हा को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–13295 दिनांक–28.09.2016 की कंडिका–5 में निहित प्रावधानों के आलोक में आशु निरीक्षक की कोटि में स्थानापन्न रूप से औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए विशेष शाखा में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	वरीयता क्र0	आशु अ0नि0 का नाम/ आरक्षण कोटि	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	जन्म तिथि	प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	6	रूपम सिन्हा/सामान्य	पटना	विशेष शाखा	08.03.60	तत्काल प्रभाव से

2. उपरोक्त पदाधिकारियों की स्थानापन्न प्रोन्नति का नियमितिकरण/पदावनत् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–13295, दिनांक–28.09.2016 की कंडिका–5 (II) एवं 5(V) में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

3. यह स्थानापन्न प्रोन्नति निम्नांकित शर्तो के अधीन दी जाती है:–

I. उक्त के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन में हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरूद्ध फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह स्थानापन्न प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामलें में प्रक्षेत्रादेश/क्षेत्रादेश/ जिलादेश रोककर अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाएगा।

II. यदि उक्त के सेवा अभिलेख में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आदेश में तदनुसार संशोधन/रद्द किया जायेगा।

III. यदि किसी वरीय आशु अवर निरीक्षक का मामला आशु निरीक्षक की कोटि में स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु प्रकाश में आता है तो उस स्थिति में इस प्रोन्नत्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा रिक्ति के अनुसार कनीय को आशु अवर निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

IV. मनोनयन प्राप्ति के बाद उक्त का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया हो तो ऐसी स्थिति में प्रोन्नत पदाधिकारी का जिलादेश/क्षेत्रादेश/प्रक्षेत्रादेश उनके वर्तमान पदस्थापन से निर्गत होगा।

V. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं0–4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामलें में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

VI. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–9706, दिनांक–20.07.2018 के आलोक में गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक–342, दि0–10.01.2019 द्वारा किये गये रोस्टर क्लीयरेंस के आधार पर यह स्थानापन्न प्रोन्नति प्रदान की गई है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 171 ..../पी–2
16–01–02–2018
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक– 15/02/2019

प्रतिलिपिः–

1. सभी सम्बन्धित पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे/इकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।